न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 62/23 GCMS NO 2023/145

गोपाल शास्त्री पुत्र विशम्भर जाति ब्राहम्ण निवासी शास्त्री नगर वाई पास हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांट

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डोन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 327/22 निर्णय दिनांक 21.7.23 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री पी0एल0गोयल
अभिभाषक रैस्पो0 पैरोकार सरकार

दिनांक 30.6.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 21.7.23 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र धारा 177 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 2405 रकबा 0.17 है0 किस्म बारानी ए वाके कस्बा हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी मे स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रतिवादी गोपाल पुत्र विशम्भर जाति ब्राहम्ण निवासी शास्त्री नगर वाईपास हिण्डौन जिला करौली के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2071–74 मे दर्ज है। उक्त आराजी मौके पर काश्त के उपयोग मे न आकर वैशाली पेराडाईज के नाम से अवैध मैरिज गार्डन संचालित कर बिना भू संपरिवर्तन करवाये व्यावसायिक उपयोग मे ली जा रही है जो कि विधि सम्मत नही है। कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये अकृषि यथा आवासीय /वाणिज्यिक उपयोग मे लिया जाना भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के प्रावधानो का खुला उल्लंघन है तथा ऐसी स्थिति मे उपरोक्त आराजी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत सिवायचक घोषित किया जाना विधि अनुरूप एवं न्याय संगत है। अतः उक्त आराजी को सिवायचक घोषित किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अपीलांट एवं सरकार पैराकार की अपील पर सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Bairwa
Date: 2026.04.16 15:21:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे 5 तनकीयात कायम की गई परन्तु प्रकरण का निर्णय मुताबिक तनकीयात प्रत्येक तनकी पर बिन्दुवार निर्णय पारित नही कर सीधा ही निर्णय पारित कर दिया जबकि कानूनन न्यायालय को प्रकरण मे कायम की गई तनकी पर अलग अलग निर्णय पारित करना चाहिए था जो कि प्रकिया विधि का आज्ञापक प्रावधान है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे प्रत्येक तनकी पर अलग अलग निर्णय पारित नही कर प्रकिया विधि के आज्ञापक प्रावधानो का घोर उल्लंघन किया है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। रेस्पो0 ने उक्त प्रकरण पटवारी व गिरदावर हल्का की रिपोर्ट दिनांक 7.11.22 के आधार पर उक्त प्रकरण धारा 177 आर टी एक्ट का पेश किया जाना अपने प्रार्थना पत्र/वाद के मद न0 3 मे अंकित किया है तथा सम्पूर्ण प्रकरण मे रेस्पो0 की और से संबंधित पटवारी हल्का या गिरदावर हल्का के कोई बयान नही कराये है और ना ही रिपोर्ट दिनांक 7.11.22 को साबित कराया है तथा खाने सहादत मे संबंधित पटवारी/गिरदावर के पेश नही होने से विवादित भूमि ख0न0 2405 रकबा 17 ऐयर का उपयोग अपीलांट द्वारा कृषि से अकृषि मे करने और उस पर वैशाली पैराडाईज के नाम से अवैध मैरिज गार्डन संचालित करने का तथ्य किसी भी प्रकार साबित नही है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने आंख मूदकर खिलाफ कानून व मनमर्जी तरीके से पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 7.11.22 उक्त भूमि के कृषि से अकृषि मे परिवर्तन करने के तथ्य को खिलाफ कानून साबित मानकर अपना निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण मे आवेदक तहसीलदार महेन्द्र मीना ने साक्ष्य मे अपना शपथ पत्र पेश किया है लेकिन दौराने साक्ष्य प्रकरण मे पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 7.11.22 को प्रदर्श नही कराया है तथा कानूनन जो दस्तावेज साक्ष्य मे प्रदर्श नही है वह दस्तावेज मुताबिक कानून पढा नही जा सकता है। इसके अतिरिक्त वादी को उक्त भूमि के संबंध मे कोई व्यक्तिगत जानकारी नही है और ना ही इस संबंध मे कोई कथन धारा 177 आर टी एक्ट के आवेदन मे अंकित है। इस प्रकार आवेदक/वादी रेस्पो0 द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण मे उक्त विवादित भूमि को अपीलांट द्वारा व्यावसायिक उपयोग मे परिवर्तन करने के तथ्य को किसी भी प्रकार से साबित नही किया है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने खिलाफ कानून उक्त दावा धारा 177 आर टी एक्ट स्वीकार कर निर्णय खिलाफ कानून पारित किया है जो निरस्त योग्य है। विधि का सार्वभौमिक सिद्वान्त है कि वादी को अपना प्रकरण स्वयं साबित करना है वह प्रतिवादी /अप्रार्थी की किसी भी कमी का कोई फायदा नही ले सकता है। इस संबंध मे रेस्पो0 द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण मे इस तथ्य को साबित नही किया है कि अपीलांट द्वारा विवादित भूमि मे वैशाली पैराडाईज के नाम से मैरिज होम बनाकर उसका संचालन किया जा रहा है। इसके विपरीत अपीलांट द्वारा विवादित भूमि का संपरिवर्तन करवाने हेतु पत्रावली क्रमांक 3986 दिनांक 25.11.19 संबंधित नगर परिषद हिण्डौन मे पेश की हुई है परन्तु उक्त दिनांक से आज तक अपीलांट के कई बार निवेदन किये जाने के उपरान्त भी नगर परिषद द्वारा उक्त भूमि का संपरिवर्तन नही किया गया है और संपरिवर्तन नही करने के संबंध मे नगर परिषद द्वारा अपीलांट को कोई नोटिस नही दिया गया है। विवादित भूमि ख0न0 2405 के चारो सीमाओ की और लगवा समस्त खसरा नम्बरान की

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

भूमि ख0न0 2406,2407,2408,2409,2410,2411,2412,2413 व 2704 कस्बा हिण्डौन का भू संपरिवर्तन स्वमोटो ही बिना किसी आवेदन के जनवरी 2022 मे कर दिया गया इससे बखूबी साबित है कि नगर परिषद हिण्डौन सिटी मे भू माफियाओ द्वारा साठ गाठ कर अपीलांट की भूमि का भू संपरिवर्तन नहीं होने दिया तथा अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे मात्र यह अंकित कर कि दिनांक 25.11.19 से आज तक 4 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पत्रावली क्यो व किस कारण से लंबित है इस तथ्य को स्पष्ट नही किया है जबकि उक्त पत्रावली लंबित होने के संबध मे अपीलांट किसी प्रकार से डिफाल्टर रहा हो या अपीलांट की कोई गलती या पत्रावली मे कोई कमी रही हो, ऐसा भी कोई तथ्य पत्रावली पर अंकित नही है। मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त सम्पूर्ण तथ्य को इग्नोर कर उक्त विधि विरूद्व आदेश पारित कर अपीलांट की भूमि को आनन फानन मे सिवायचक घोषित करने का आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने अपने जबाब मे स्पष्ट रूप से कथन किया है कि विवादित भूमि के संबंध मे न्यायालय सिविल न्यायाधीश हिण्डौन के यहॉ एक उनवानी मुकदमा गोपाल बनाम उप ज़िला कलेक्टर हिण्डौन वगै0 मु0न0 68/22 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर रखा है जिसमे न्यायालय द्वारा गैरसायलान को पाबन्द किया हुआ है। मगर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह अंकित किया है कि उक्त प्रकरण के आदेश की कोई प्रति पत्रावली पर पेश ही की और उक्त प्रकरण के विचाराधीन होने का भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नही किया है। जबकि उक्त प्रकरण मे स्वयं उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार हिण्डौन पक्षकार है तथा इनके द्वारा प्रकरण मे पैरवी हेतु राजकीय अधिवक्ता की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिवक्ता नरेन्द्र सिह जादौन एडवाकेट को प्रकरण मे पैरवी हेतु नियुक्त कर रखा है तथा उक्त स्थगन आदेश के विरूद्व अधिवक्ता श्री जादौन के माध्यम से न्यायालय अपर जिला जज न0 2 हिण्डौन सिटी मे अपींलांट के विरूद्व अपील उनवानी उप जिला कलेक्टर हिण्डौन वगै0 बनाम गोपाल शास्त्री दायर कर रखी है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण के विचाराधीन नही होने के तथ्य की जानकारी अधिनस्थ न्यायालय को व रेस्पो0 को नही होना किसी भी प्रकार से संभव नही है। इसके अतिरिक्त जहॉ विवादित भूमि के संबंध मे भूमि के अधिकारो के बाबत सक्षम दीवानी न्यायालय मे नियमित वाद विचारधीन है कानूनन वहॉ समरी कार्यवाहियां या उक्त प्रकरण कानूनन पोषणीन नही है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त सम्पूर्ण कानूनी स्थिति को नजर अंदाज कर निर्णय खिलाफ कानून पारित किया है जो निरस्त योग्य है। प्रकरण मे दिनांक 4.7.22 को साक्ष्य वादी समाप्त की जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 7.7.23 प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु नियत की गई तथा उक्त दिनांक को प्रतिवादी ने साक्ष्य हेतु अवसर चाहा तथा उक्त तारीख पेशी पर अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियत 10 सीपीसी रश्मि शर्मा की और से मय बकालतनामा पेश किया, मगर उक्त दिनांक को प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर नही लिया तथा प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी 14.7.23 नियत की गई तथा दिनांक 14.7.23 को पीठासीन अधिकारी के राजकार्य मे व्यस्त होने पर जनरल तारीख पेशी [illegible] नियत की गई उस दिनांक को प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लिया गया तथा बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात दिनांक 19.7.23 साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की जाकर दिनांक 19.7.23 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद कर दी गई। इस प्रकार प्रतिवादी को अपनी साक्ष्य पेश करने का अवसर प्राप्त नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

हुआ तथा खिलाफ कानून प्रकरण का दिनांक 21.7.23 को निस्तारण कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट को प्रकरण की समस्त कार्यवाहियो की नकल की प्रतियां उपलब्ध नही कराई गई जिसके कारण प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय मे अन्तरित करने हेतु कलेक्टर करौली के यहाँ दिनांक 20.7.23 को पेश किये जाने पर जिला कलेक्टर करौली द्वारा आदेश पारित किये जाने पर जिला कलेक्टर करौली के आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय मे प्रातः 11 बजे पेश करने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि निर्णय होने के पश्चात पेश किया गया है। जबकि प्रकरण मे दिनांक 21.7.23 को मुताबिक आदेशिका बहस सुनी गई है। तथा न्यायालय मे पीठासीन अधिकारी के बैठने व प्रकरणों की सुनवाई करने का समय दोपहर 2 बजे से है, ऐसी स्थिति मे उक्त प्रकरण मे सुनवाई होकर अर्थात बहस होकर प्रकरण का निस्तारण सुबह 11 बजे से पूर्व होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। जबकि वास्तव मे उक्त प्रकरण मे पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई बहस ही नही सुनी गई ना ही अपीलांट के अधिवक्ता को बहस हेतु बुलाया गया। पीठीसीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण मे टी ए प्रार्थना पत्र पेश होने के उपरान्त व दिनांक 21.7.23 को जिला कलेक्टर करौली द्वारा पीठासीन अधिकारी को उक्त प्रकरण मे कोई भी आदेश पारित करने के स्थगन से पाबन्द करने के उपरान्त भी पीठासीन अधिकारी द्वारा खिलाफ कानून प्रकरण का निस्तारण कर दिया। जो विधि के सार्वभौमिक सुनवाई के अधिकार व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्व होने से जैर अपील निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.7.23 निरस्त करते हुए वादी/रेस्पो0 का दावा खारिज फरमाया जावे।

जबाब मे पैरोकार सरकार ने कथन किया आराजी खसरा न0 2405 रकबा 0.17 है0 किस्म बारानी ए वाके कस्बा हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी मे स्थित है। जिसकी खातेदारी अपीलांट गोपाल पुत्र विशम्भर जाति ब्राहम्ण निवासी शास्त्री नगर वाईपास हिण्डौन जिला करौली के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2071–74 मे दर्ज है। उक्त आराजी मौके पर काश्त के उपयोग मे न आकर वैशाली पेराडाईज के नाम से अवैध मैरिज़ गार्डन संचालित कर बिना भू संपरिवर्तन करवाये व्यावसायिक उपयोग मे लिये जाने के कारण ही विधि अनुसार अधिनस्थ न्यायालय मे धारा 177 आर टी एक्ट के तहत वाद पेश किया गया था। विधि के प्रावधान अनुसार यदि किसी खातेदार द्वारा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये कृषि से अकृषि मे कार्य लिया जाता है तो वह भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के प्रावधानो का खुला उल्लंघन है। अपीलांट द्वारा भी बिना संपरिवर्तन कराये ही विवादित आराजीयात पर विधि के विपरीत बैशानी पैराडाईज के नाम से मेरिज गार्डन संचालित किया हुआ है। जिसके संबंध मे पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का द्वारा कानून के प्रावधानो के तहत तहसीलदार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नही किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन किये जाने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया है इसी प्रकार अपीलांट का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट/प्रतिवादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट/प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त उनके द्वारा साक्ष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

नही कराने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात के बाबत स्थगन सिविल न्यायालय से होने के संबंध मे किसी प्रकार का कोई अभिलिखित प्रमाण पेश नही किया है। इसी प्रकार अपीलांट का कथन रहा कि विवादित आराजीयात के बाबत संपरिर्वन की कार्यवाही हेतु नगर परिषद हिण्डौन के यहॉ आवेदन किया हुआ है परन्तु 4 वर्ष से नगर परिषद द्वारा संपरिवर्तन नही किया गया है। इसके सर्मथन मे अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नही किया है। यदि नगर परिषद द्वारा विवादित आराजीयात का संपरिवर्तन नही किया जा रहा है तो उसके लिए अपीलांट को सक्षम उच्चाधिकारियो के चारांजोही करनी चाहिए थी। जो उनके द्वारा नही की गई है। अपीलांट द्वारा बिना भूमि का संपरिवर्तन कराये ही भूमि पर आवासीय मकान बनाया हुआ है तथा बिना संपरिवर्तन कराये ही भूमि को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग लिया जा रहा था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादी की सम्पूर्ण साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि के अनुरूप है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार हिण्डौन सिटी पटवारी हल्का/गिरदावर हल्का कस्बा हिण्डौन की रिपोर्ट दिनांक 7.7.2011 की रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पेश किया गया था। यहॉ यह प्रश्नगत है कि विवादित आराजीयात भूमि ख0न0 2405 रकबा 0.17 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन के मौके की जो रिपोर्ट पटवारी हल्का/गिरदावर हल्का हिण्डौन द्वारा तैयार की गई है उस रिपोर्ट पर अपीलांट एवं उसके किसी प्रतिनिधी के उपस्थित होने के सबंध मे किसी प्रकार के कोई हस्ताक्षर रिपोर्ट पर नही है। इससे स्पष्ट है कि पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है वह अपीलांट की गैरमौजूदगी मे तैयार की गई है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि अपीलांट द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के विवादित आराजीयात को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है तो सर्वप्रथम तहसीलदार भूमि धारक होने की हैसियत से अपीलांट को इसके बाबत नोटिस जारी कर तलब करना चाहिए था। जो उनके द्वारा नही कर सीधे ही पटवारी हल्का एवं गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण मे प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे जबाब दावा प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात के सबंध मे माननीय सिविल न्यायालय से स्थगन होने का कथन किया गया है जिसमे वादी/रेस्पो0 के साथ साथ तहसीलदार एंव आयुक्त नगर परिषद हिण्डौन सिटी पक्षकार संस्थित है। जिससे यह तथ्य साबित है कि माननीय सिविल न्यायाधीश करौली द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश की जानकारी वादी/रेस्पो0 को नही रही हो। यदि माननीय सिविल न्यायालय का स्थगन आदेश भूमि ख0न0 2405 पर प्रभावी है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे किस प्रकार से नजर अंदाज किया गया है। जबकि माननीय सिविल न्यायालय का आदेश अपीलाधीन आदेश से पूर्व दिनांक 3.2.23 का है। जिसमे विवादित आराजीयात की मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये हुए है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात खसरा न0 2405 को कृषि से अकृषि मे संपरिवर्तन

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:12 IST
Reason: SelfAttested

कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है जिसकी पुष्टि नगर परिषद हिण्डौन सिटी के पत्र दिनांक 25.11.19 से होती है जो कि तहसीलदार हिण्डौन सिटी को संबोधित है। इसी प्रकार अपीलांट द्वारा तहसीलदार हिण्डौन व अन्य के विरूद्व श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत मुकदमा न0 17/23 प्रार्थना पत्र धारा 235 आर टी एक्ट मे पारित आदेश दिनांक 21.7.23 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को पाबन्द किया गया कि आगामी तारीख पेशी तक प्रकरण संख्या 327/22 उनवानी सरकार बनाम गोपाल अन्तर्गत धारा 177 आर टी एक्ट मे कोई आदेश पारित नही किया जावे। इसके पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व रूप से वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये गये है जो विधि के विपरीत है। उपरोक्त तथ्यो से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.3.23 निरस्त किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी के मु0नं0 327/2022 उनवानी सरकार बनाम गोपाल मे पारित निर्णय दिनांक 21.7.23 को निरस्त किया जाता है। यदि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना मे भूमि ख0न0 2405 रकबा 0.17 है0 वाके कस्बा हिण्डौन सिटी जिला करौली के राजस्व रिकार्ड मे किसी प्रकार के फेरबदल किये गये हो तो उनको प्रभावशून्य घोषित किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 30.6.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:12 IST
Reason: SelfAttested